प्रभात खबर
INTERNET EDITION

31 तक संपत्ति का ब्योरा सावजनिक करे आइएएस

संवाददाता पटना

बिहार कैडर के आइएएस अधिकारियों को 31 जनवरी तक हर हाल में अपनी चल व अचल संपत्ति का ब्योरा देने के लिए कहा गया है सामान्य प्रशासन ने बिहार कैडर के सभी आइएएस अधिकारियों को पत्र लिख कर सरकार के निणय से अवगत करा दिया है

बतानी होगी वास्तविक स्थिति

विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि संपत्ति के ब्योरे में यह शब्द कतइ नहीं चलेगा कि ' नो चेंज अथवा सेम एज लास्ट इयर' इतना ही नहीं, संपत्ति नहीं रहने की स्थिति में विवरणी में खाली जगह नहीं छोड़नी होगी वहां वास्तविक स्थिति क्या है, उसे लिखना होगा

विभाग के अधिकारियों का कहना है कि प्राय: यह देखा जा रहा है कि इससे संबंधित सूचनाएं विहित प्रपत्र में नहीं दी जा रही हैं इसके चलते विवरणी लेने में कठिनाइ हो रही है अधिकारियों से कहा गया है कि संपत्ति के विवरण का प्रपत्र कामिक एवं प्रशिषाण विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है अधिकारियों के अनुसार 31 जनवरी तक संपत्ति की विवरणी ली जायेगी इसके बाद उसे समेकित रूप से तैयार कर भारत सरकार को 28 फरवरी तक भेज दिया जायेगा